

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग

17/201
42

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/47/2020/743

दिनांक:- 03-02-2020

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 70/2019 दिनांक 10.12.2019 की पालना में राज्य स्तरीय निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जाँच केन्द्रों को अनुमोदित/अधिकृत करने हेतु गठित समिति द्वारा की गई अनुशंषा के अनुसार निगम कर्मचारियों के उपचार/जाँच हेतु निम्नलिखित निजी जाँच केन्द्रों (Diagnostic Centres) को तुरन्त प्रभाव से अनुमोदित/अधिकृत किया जाता है:-

1. Jaipur Ayurveda Hospital, A-49, Jai Ambey Nagar, Tonk Road, Jaipur.
2. Okay Diagnostic Research Centre Pvt. Ltd. 4, Vivekanand Marg, Jaipur.
3. Dr. B. Lal Clinical Laboratory Pvt. Ltd. 6-D, Malviya Industrial Area, Jaipur.

उपरोक्त निजी चिकित्सालय/जाँच केन्द्रों से प्राप्त चिकित्सा/जाँच देयकों का पुनर्भरण राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम संख्या 7 (परिशिष्ट XI) के अनुसार किया जावेगा।

(यू.डी. खान)
प्रबन्ध निदेशक
30/01/2020
दिनांक:-
03-02-2020

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/47/2020/743

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. मुख्य प्रबन्धक, रा.रा.प.प.निगम,।
9. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- II () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
10. सम्बन्धित चिकित्सालय/जाँच केन्द्र.....।
11. रक्षित पत्रावली।

SH- Ashok - 5
4/2/2020

(वीना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार